भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2274
12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ई-संजीवनी सेवाओं के लिए डॉक्टर

2274. श्री लालजी वर्मा:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ई-संजीवनी सेवाओं में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म की गुणवत्ता, लाभार्थियों की संतुष्टि और स्वास्थ्य परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नेटवर्क कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य कर्मियों में प्रशिक्षण की कमी, और रोगियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड के सीमित एकीकरण जैसी बाधाओं को दूर करने के लिए कौन-कौन से उपाय लागू किए जा रहे हैं;

(घ) प्लेटफॉर्म पर डॉक्टरों और स्वास्थ्य प्रदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने, इसका सतत उपयोग और विस्तार सुनिश्चित करने के लिए सरकार की रणनीति क्या है; और

(ङ) ई-संजीवनी को समावेशी बनाने, जैसे क्षेत्रीय भाषाओं को जोड़ने और सुदूर क्षेत्रों तक इसकी पहुँच बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी पहल की गई है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): ई-संजीवनी एक राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है जो सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यशील है और इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) प्राप्त करना है। इसे दो रूपों में लागू किया गया है: (i) ई-संजीवनी एबी-एचडब्ल्यूसी/आयुष्मान आरोग्य मंदिर - एक प्रदाता-से-प्रदाता टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म जिसे नवंबर 2019 में शुरू किया गया (ii) ई-संजीवनी ओपीडी - एक रोगी-से-प्रदाता टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म जो हब और स्पोक मॉडल पर संचालित होता है और मार्च 2020 में शुरू किया गया। ये सेवाएं भारत के सभी 28 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित हैं और इस प्लेटफॉर्म पर 43 करोड़ से अधिक परामर्शों की सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

ई-संजीवनी सेवाओं में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, मेडिकल कॉलेजों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें डॉक्टरों की टीमें तैनात हैं जिससे अंतर्निहित शाखाओं को सहायता प्रदान की जा सके। इसके अतिरिक्त, डॉक्टरों को शिफ्ट में टेलीकंसल्टेशन करने की अनुमति दी गई है, जिससे वे अपने नियमित कर्तव्यों के साथ-साथ इसमें भाग ले सकें, जिसमें विशिष्ट प्रकार के परामर्शों के लिए आयुष चिकित्सक भी शामिल हैं, जिससे उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का दायरा बढ़ सके। इसके अतिरिक्त, सरकार सी-डीएसी मोहाली के माध्यम से ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म द्वारा टेलीमेडिसिन प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के लिए डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लिए नियमित क्षमता निर्माण सत्र आयोजित करती है।

नेटवर्क कनेक्टिविटी संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत, सरकार ने ग्रामीण भारत को हाई-स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए भारतनेट जैसी पहल आरंभ की है और कुछ राज्यों में टेलीमेडिसिन सेवाओं का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक ब्रॉडबैंड कवरेज का विस्तार करने के लिए दूरसंचार प्रदाताओं के साथ भी सहयोग किया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा, ई-संजीवनी, भारत की विविध आबादी के लिए समावेशी और सुलभ बनाने के उद्धेश्य से बनाई गई है। ई-संजीवनी वेब एप्लिकेशन 13 भाषाओं: अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु, मराठी, गुजराती, असमिया, उड़िया, बंगाली, पंजाबी और उर्दू का समर्थन करती है और मोबाइल एप्लिकेशन 12 भाषाओं: अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु, मराठी, गुजराती, असमिया, उड़िया, बंगाली और पंजाबी का समर्थन करता है। यह बहुभाषी समर्थन इसके व्यापक रूप से प्रयोग को सुनिश्चित करता है, विशेषकर दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ स्थानीय भाषा के इंटरफेस उपयोगिता और रोगी की सुविधा में उल्लेखनीय सुधार होता हैं।

*****